पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
282 / 2023	02.08.2023	30.01.2024

उनवान

1. श्री गोपी पुत्र नानू गुर्जर जाति गुर्जर, आयु वयस्क निवासी गुन्दली, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
2. श्री गणेश पुत्र नानू गुर्जर जाति गुर्जर, आयु वयस्क निवासी गुन्दली, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
3. श्रीमती शंकरी पत्नी स्व0 नारायण गुर्जर जाति गुर्जर, आयु वयस्क निवासी गुन्दली, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुखदेव पिता नन्दा भील जाति भील आयु वयस्क निवासी गुन्दली, तह0 एवं जिला भीलवाडा।
2. श्री नारायणदास पिता माधुदास जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी गुन्दली मजरा डुंगारडा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. श्री आशुतोष पुत्र प्रभुदयाल जोशी जाति जोशी आयु वयस्क निवासी तोतला गली मांडल तह0 मांडल जिला भीलवाड़ा
4. विकास पंचायत गुन्दली चरागाह व अन्य सामान्य कार्य हेतु जरिए सचिव ग्राम पंचायत गुन्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. ग्राम पंचायत गुन्दली आबादी विस्तार पूर्ण संस्था के लिए जरिए सचिव ग्राम पंचायत गुन्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राज0)

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्री मांगी लाल सेन
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गुन्दली प0ह0 गुन्दली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 525 की अभिलिखित आराजियात 1772, 922/1772, कुल किता 02 कुल रकबा 1.7576 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एव विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अत प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण विपक्षी सख्या 03 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है अत विपक्षी सख्या 03 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाती है। अप्रार्थी संख्या 01 02, 04 05 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनाक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी सख्या 01 02 04 05 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चितन मनन् किया एव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली मे प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन **किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर** मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस **के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात** जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) **कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन** के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि **के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी)** कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956** स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा गुन्दली **प0ह0 गुन्दली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल** तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी **संवत 2075–2078 के खाता संख्या 525** की अभिलिखित आराजियात 1772, 1922 / 1772, **कुल किता 02 कुल रकबा 1.7576 हैक्टेयर** भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर **उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार** से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय **का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो** बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती **की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु** तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 **अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त** किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क **रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका** आगामी 15 दिवस में आवश्यक **रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके** पर प्राप्त करे। तहसीलदार **भीलवाडा को तहरीर जारी करे।**

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक **कार्यवाही** अभिलेखागार में राजवाई **जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा